2024/249

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला सांतपुर
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 52 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.09.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 27.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट द्वारा श्री वीरेन्द्रदत्त त्रिवेदी शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्द्रावती आबूरोड को चुनाव कार्यों हेतु जिस आदेश के तहत लगाया गया था, उस आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उक्त आदेश की पालना में श्री वीरेन्द्रदत्त त्रिवेदी द्वारा किस दिनांक को कार्यग्रहण किया गया था एवं इन्हें किस आदेश के तहत कार्यमुक्त किया गया था साथ ही उसके द्वारा दी गई उपरिथति का उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 27.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट द्वारा श्री वीरेन्द्रदत्त त्रिवेदी शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्द्रावती आबूरोड को चुनाव कार्यों हेतु जिस आदेश के तहत लगाया गया था, उस आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उक्त आदेश की पालना में श्री वीरेन्द्रदत्त त्रिवेदी द्वारा किस दिनांक को कार्यग्रहण किया गया था एवं इन्हें किस आदेश के तहत कार्यमुक्त किया गया था। साथ ही उसके द्वारा दी गई उपरिथति का उपरिथति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/आरटीआई/कांतिलाल/27.06.2024/450 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया था, परन्तु उक्त पत्र में बिन्दु संख्या दो की सूचना [illegible] की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचन[illegible] उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को आदेशित किया जाता है [illegible] दी की सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध [illegible] नियमों में संभव नही हो [illegible] स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित क[illegible] निर्णय सार–ए–इजलास सु[illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner